श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय
जोबनेर 303329, जिला जयपुर (राजस्थान)
e-mail Id : comptroller@sknau.ac.in

ओम प्रकाश बैरवा
वित्त नियंत्रक

क्रमांकः एफ( )/श्रीकनकृविवि/वि.नि./काककोष/2020/ 1685-88 दिनांकः 10.09.2020

कार्यालय आदेश

माननीय कुलपति महोदय के अनुमोदन पश्चात् कार्मिक कल्याण कोष योजना में निम्नलिखित निर्णय लिए गए है जो विश्वविधालय मे कार्यरत नियमित कर्मचारियो पर तुरन्त प्रभाव से लागू किये जाते है:-

1. कार्मिक कल्याण कोष योजना के सदस्य/मनोनीतो द्वारा पूर्व मे बीमा क्लेम आवेदन की समय सीमा निर्धारित नही थी जिसे समिति मे विचार करते हुऐ 90 दिन की अवधि निर्धारित की जाती है।.

2. ऋण प्राप्त करने वाले कार्मिक को एक घोषणा पत्र राशि रु 10/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर के स्थान पर रु 50/- नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प किया जाता है।

3. कुलसचिव द्वारा स्वं. श्री राधेश्याम च.श्रे.क. का प्रकरण कमेठी के ध्यान मे लाया गया । अतः कमेठी ने उक्त प्रकरण को सम्मलित करते हुऐ भविष्य में इस तरह के प्रकरणों पर निम्नानुसार कार्यवाही सम्पादित करने के लिए सहमति प्रदान की, जो कर्मचारी कल्याण कोष योजना का सदस्य है व जिसने योजना के नियमों के तहत् ऋण ले रखा है एवं जिसकी सेवाकाल में रहते हुऐ आकस्मिक प्राकृतिक/सामान्य मृत्यू हो जाती है तो ऐसी स्थिति में उस कर्मचारी के मनोनीत/आश्रितों को उसके बकाया ऋण राशि के मूल का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम (Maximum) राशि रु 1.00 लाख रुपये सीमा तक एवं ब्याज कि राशि मृत्यू की दिनांक से माफ किये जाने का प्रावधान किया जाता है।

4. कमेटी द्वारा सर्वसम्मति से कार्मिक कल्याण कोष योजना के नवीन सदस्य बनाने के लिए सदस्यता शुल्क रु 7,500/- रु से बढाकर रु 10,000/- करने की सहमति प्रदान की जाती है।

5. कर्मिक कल्याण कोष योजना 2017 बिन्दु संख्या 03 (IV.) पर विचार विमर्श किया गया है । सभी सदस्य की राय अनुसार योजना को लोकप्रिय बनाने के लिए जो ब्याज दर वर्तमान समय मे 11 प्रतिशत की दर से लागू है। उसको घटाकर 09 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है इस ब्याज दर को प्रति 06 माह मे पुनः विचार (Review) करने के प्रावधान रखा गया है। बिन्दु संख्या 06 (IV.) पूर्व मे ऋण की अदायगी 72 मासिक किश्तों में मय ब्याज की जा रही थी उसको कम कर ऋण की वसूली अवधि मय ब्याज के अधिकतम 60 मासिक किश्तों में किया जावेगी।

6. मृत्यू से संबधित प्रकरणों में बीमा आहरण-वितरण अधिकारी एवं कार्यालय अध्यक्ष स्वप्रसंज्ञान लेकर मनोनीतों/आश्रितों का प्रकरण तैयार कर समय सीमा मे वित्त नियंत्रक कार्यालय को अग्रेषित करेगें।

7. दुर्घटना मृत्यू के प्रकरणों में बीमा कम्पनी से सम्बंधित नियमों की समस्त आहरण-वितरण अधिकारी एवं कार्यालय अध्यक्ष द्वारा पूर्ण पालना की जावे ताकि मनोनीत/आश्रितों को समय पर योजना मे बीमे का फायदा मिल सके।

(ओम प्रकाश बैरवा)
वित्त नियंत्रक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. निजी सचिव, माननीय कुलपति श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर।
2. कुलसचिव, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर।
3. समस्त निदेशक/अधिष्ठाता/क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान/परीक्षानियंत्रक/प्रभारी अधिकारी/कार्यक्रम समन्वयक/भू-सम्पत्ति अधिकारी/परियोजना प्रभारी/ आहरण वितरण अधिकारी/कोषाधिकारी/ वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष,KVK/...................... श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय,जोबनेर, जयपुर।
4. कोषाधिकारी, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर, जयपुर।
5. रक्षित पत्रावली।

(ओम प्रकाश बैरवा)
वित्त नियंत्रक